

रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय / राजभाषा अनुभाग/ 618 अण्णा सालई / तेनापेट/चेन्नई 600 018
Office of the CDA / OL Sn / 618 Anna Salai / Chennai 600018

दूरभाष / Tel: 044-24349980 Ext: 145/109

फैक्स / Fax: 044-24348142

सं रा.भा / निरीक्षण /2514

दिनांक 17/02/2022

सेवा में /To

1. मुख्य कार्यालय के सभी ग्रुप अधिकारी / All GO's in MO
2. मुख्य कार्यालय के सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी / All SAO/AO in MO
3. संगठन के सभी उप कार्यालय / All Sub Offices under CDA Chennai Organisation

विषय / Sub: मुख्यालय कार्यालय द्वारा रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण -
दिसम्बर 2021 .

संदर्भ/Ref - 1. मुख्यालय कार्यालय पत्र संख्या 0746/हि.क./रा.भा.नि./मुख्यालय/21-22
दिनांक 01/02/2022

2. इस कार्यालय का संख्या हि/राभाकास/2503 दिनांक 06/04/2016

मुख्य कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक चेन्नई के विभिन्न अनुभागों का दिसम्बर 20/12/21 से 21/12/2021 तक मुख्यालय कार्यालय द्वारा किए गए राजभाषा निरीक्षण की रिपोर्ट के अनुपालन में तथा इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भाधीन @ 2 में उल्लिखित जांच बिन्दु संबंधी परिपत्र को पुनः अनुपालनार्थ जारी किया जा रहा है। निरीक्षण रिपोर्ट पर नियंत्रक महोदया द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया जाता है कि मुख्य कार्यालय के अनुभागों तथा संगठन के उप कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित मदों का सक्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय के राजभाषा अनुभाग को एक माह के अंदर सूचित किया जाए:

In compliance with the Inspection Report of the Hqrs. Office wrt to their inspection of various Section of the MO CDA Chennai on 20/12/2021 & 21/12/2021, aforesaid circular @ Reference 2 is circulated herewith again. In view of the instructions issued by the Controller on the said inspection report, it is requested that Sections/Suboffices of this organisation may necessarily comply with the following guidelines and intimate this Section with the action initiated in this regard within one month of receipt of this communication.

1. धारा 3(3) के अधीन आने वाले दस्तावेज को अनिवार्यतः द्विभाषी जारी करना। धारा 3(3) के अधीन आने वाले दस्तावेजों जैसे भाग I / II कार्यालय आदेश, प्रशासनिक आदेश, प्रशासनिक रिपोर्ट, अनुभाग आदेश आदि को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किया जाए। इसे अनिवार्यतः यथासमय अनुवाद के लिए हिन्दी अनुभाग में भेजा जाए। अनुभाग आदेश, जो रजिस्ट्रों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, इन्हें इस कार्यालय के राजभाषा अनुभाग को अनुवाद के लिए भेजा जाए।

All documents falling under Section 3(3) of the OL Act to be compulsorily issued in bilingual only. All such documents viz. Part I/II OOs, Admin. Orders, Admin. Reports, Section Orders etc for translation to the OL Sn of this office. The Controller has also instructed that all Section Orders which are issued vide registers may be sent for translation with the Hindi version preceding the English / Hindi version on the right side of page and English on the left.

जांचबिन्दु /Checkpoints

उक्त मद के अनुपालन के लिए इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी जांचबिन्दु हैं।

Officers affixing their signature on such documents/registers are checkpoints for compliance.

- 2 -

2. हिन्दी पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिया जाना ।

Reply to Hindi letters may compulsorily be in Hindi only.

जांचबिन्दु /Checkpoints

उक्त मद के अनुपालन के लिए इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी जांचबिन्दु हैं।

Officers affixing their signature on such documents/registers are for compliance.

3. केवल द्विभाषी फार्म का प्रयोग करना तथा वर्तमान में केवल अंग्रेज़ी में प्रयोग किए जानेवाले फार्मों को हटाकर इन्हें द्विभाषी रूप में बनवाया जाना । कार्यालय में सामान्य पत्राचार से संबन्धित कोई भी फार्म ओ. ए. द्वारा जेनरेट नहीं किए जाते हैं अतः सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले पत्र, फॉर्मेट को राजभाषा अनुभाग में भेज कर द्विभाषी रूप में तैयार करवा लिया जाए । उक्त मद के अनुपालन के लिए इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी तथा 'आर' अनुभाग जांचबिन्दु हैं ।

Use of only bilingual forms and preparing all such forms in bilingual that are presently in English only. Forms pertaining to General Correspondence, Forwarding memos etc. are not generated in OA, hence all such forms may be sent to OL Sn for translation in bilingual. English version may be prepared by the respective Section in English and handed over to OL Sn in pen drive for insertion of Hindi version.

जांचबिन्दु /Checkpoint

उक्त मद के अनुपालन के लिए अनुभागाध्यक्ष /कार्यालयध्यक्ष तथा 'आर' अनुभाग जांचबिन्दु हैं।

The Heads of Sections/sub offices and R Section are checkpoints for compliance.

4. रजिस्ट्रों के विषय/ कॉलम शीर्ष तथा प्रविष्टियों का अनिवार्यतः द्विभाषी होना।

Subjects of Registers, their column Headings and Entries (all possible entries) may compulsorily be in bilingual / Hindi.

जांचबिन्दु /Checkpoint

उक्त मद के अनुपालन के लिए अनुभागाध्यक्ष /कार्यालयध्यक्ष तथा 'आर' अनुभाग जांचबिन्दु हैं।

The Heads of Sections/sub offices and R Section are checkpoints for compliance.

5. फाइलों पर शीर्ष अनिवार्यतः द्विभाषी होना ।

Subjects of file covers may compulsorily be in Hindi.

जांचबिन्दु /Checkpoint

उक्त मद के अनुपालन के लिए अनुभागाध्यक्ष /कार्यालयध्यक्ष तथा 'आर' अनुभाग जांचबिन्दु हैं।

The Heads of Sections/sub offices and R Section are checkpoints for compliance.

6. सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड लगाया जाना तथा इसे किसी भी कारणवश हटाने पर प्रतिबंध लगाना ।

All computers must necessarily be Unicode enabled and ensured that the module is not disabled.

This, while being mandatory will also facilitate use of bilingual formats prepared by the OL Sn.

जांचबिन्दु /Checkpoint

उक्त मद के अनुपालन के लिए EDP अनुभाग तथा संबन्धित अनुभागाध्यक्ष /कार्यालयध्यक्ष जांचबिन्दु हैं।

The EDP and the respective Heads of Sections/Suboffices are checkpoints for compliance

7. नियंत्रक महोदय द्वारा निर्देशों के अनुसरण में, अनुभागों में केवल द्विभाषी रबर की मुहरों का ही प्रयोग किया जाए तथा अंग्रेजी मुहरों को अभिलेख अनुभाग / राजभाषा अनुभाग में जमा कर दिया जाए।
As instructed by the Controller only bilingual rubber stamps may be used and all stamps which are in English surrendered to the 'R' Section / OL Sn.

जांचबिन्दु /Checkpoint

उक्त मद के अनुपालन के लिए अनुभागाध्यक्ष /कार्यालयध्यक्ष तथा 'आर' अनुभाग जांचबिन्दु हैं।
The Heads of Sections/suboffices and R Section are checkpoints for compliance.

8. वर्तमान में प्रयुक्त कुछ नाम पट्ट को बदल कर इस रूप में बनाया जाए कि हिन्दी / अंग्रेजी दोनों ही दिख सकें।
उक्त मद के अनुपालन के लिए अनुभागाध्यक्ष /कार्यालयध्यक्ष तथा 'आर' अनुभाग जांचबिन्दु हैं।
All name boards may be displayed in such a manner that both the Hindi and English version are visible simultaneously, with Hindi on top followed by English.

जांचबिन्दु /Checkpoint

उक्त मद के अनुपालन के लिए प्रशा/VII तथा अनुभागाध्यक्ष /कार्यालयध्यक्ष अनुभाग जांचबिन्दु हैं।
The AN/VII Sections and the Heads of Sections/sub offices are checkpoints for compliance.



(ज्योति सुरेश)

सहायक निदेशक(राजभाषा) /AD(OL)

प्रति :
ईडीपी अनुभाग/EDP Sn. कृपया उक्त परिपत्र को वैबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
With request to upload the aforesaid circular on website.